

500 BHL
बाबु लाल V/S सुरेश पं.सं. - 358/2011

8/6/2022 पञ्जाबी पैक हुयी। प्राथमिक
अध्यवसाय अस्पष्टता किमीगण अधिवक्ता
अनुपस्थित। प्राथमिक अधिवक्ता की
गणक 212 R1A पर बहस हुयी गई
बहस पर मजूर - बिना काम प्रमाण
के दिनांक 5/8/2011 जारी अर्थात्
निषेधाज्ञा प्रभाव के निस्तारण
तक जारी करने हेतु निवेदित उक्त
काम प्रमाण के दिनांक 5/8/2011 को
जारी अर्थात् निषेधाज्ञा प्रभाव
के निस्तारण तक ^{प्रमाण} अर्थात् की जारी
है। पञ्जाबी पैक शुद्ध होकर
प्राथमिक बहस को प्रमाण प्रभाव
के तहत रजिस्ट्रार करें।


उपखण्ड अधिकारी
मीलवाड़ा